



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267361
CG-DL-E-04112025-267361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4825]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4825]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4980(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए के कि.मी.70.200 से कि.मी. 106.360 (उरगा-पत्थलगाँव खण्ड) तक के भू-खण्ड के निर्माण का (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130ए के कि.मी. 70.200 से कि.मी. 106.360 तक (उरगा-पत्थलगौंव खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि संरचना रहित अथवा संरचना सहित का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: कोरबा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोरबा					
गांव का नाम: चचिया					
1	1081/3	निजी (निजी)	कृषि	0.0203 (हेक्टेयर)	0.0203
2	726/1	निजी (निजी)	कृषि	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
3	726/3	निजी (निजी)	कृषि	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
4	726/5	निजी (निजी)	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
5	727/1	निजी (निजी)	कृषि	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
गांव का नाम: चितापाली					
6	519/1	निजी (निजी)	कृषि	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
तालुक का नाम: करतला					
गांव का नाम: कोटमेर					
7	372/3	निजी (निजी)	कृषि	1.32 (हेक्टेयर)	1.32
Total					1.5063

[फा. सं. NHAI/LA/27011/03/Notif.-CG/Bilaspur/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4980(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as said Act,) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning with paved shoulder/ etc.) maintenance, management and

operation of National Highways No.130A, on the stretch of land from Km.70.200 to Km.106.360 (Urga-Pathalgaon Section) in the District Korba, State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Competent Authority (Land Acquisition) and Sub Divisional Officer (Revenue) Korba, District Korba (C.G.) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling with in the stretch of land from Km.70.200 to Km.106.360 (Urga-Pathalgaon section) of National Highway No.130A in district of Korba in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: KORBA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Korba					
Village: Chachiya					
1	1081/3	Private	Agriculture	0.0203 (Hectare)	0.0203
2	726/1	Private	Agriculture	0.032 (Hectare)	0.032
3	726/3	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
4	726/5	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
5	727/1	Private	Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
Village: Chitapali					
6	519/1	Private	Agriculture	0.069 (Hectare)	0.069
Taluk: Kartala					
Village: Kotmer					
7	372/3	Private	Agriculture	1.32 (Hectare)	1.32
Total					1.5063

[F. No. NHAI/LA/27011/03/Notif.-CG/Bilaspur/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director